

# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 147 / 2020  
दायर दिनांक :- 05.11.2020

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2020 / 00127  
निर्णय दिनांक :- 20.09.2024

01. हरिसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंह की सिड तहसील बाप
02. प्रतापसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंह की सिड तहसील बाप

वादीगण.....

बनाम

1. तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)

प्रतिवादी.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955  
एवं धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित:- 1. श्री राजेन्दसिंह सौलकी अधिवक्ता वादीगण  
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

--:: निर्णय ::--

वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम कानसिंह की सिड पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 244 रकबा 484.05 बीघा भूमि पर वादीगण के पूर्वजों का कब्जा काश्त था, वादीगण के पूर्वजों के कब्जा काश्त अनुसार खसरा नम्बर 244 का मोमी ट्रेस नक्शा तैयार किया गया जिसका रकबा 484.05 बीघा है। लेकिन सेटलमेंट अधिकारियों के द्वारा खसरा नम्बर 244 की खतौनी बन्दोबस्त तैयार करते समय गलती से खसरा नम्बर 788 रकबा 484.05 के स्थान पर सरासर गलत तरीके से एवं मोमी ट्रेस नक्शा से कम रकबा 170.15 बीघा दर्ज कर दिया। जबकि वक्त सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादीगण के पूर्वजों का तथा उनके फौत होने के पश्चात वादीगण का रकबा 484.05 बीघा भूमि पर ही कब्जा व काश्त है। वक्त सेटलमेंट अधिकारियों के द्वारा पहले खातेदारों के कब्जा काश्त अनुसार मोमी ट्रेस नक्शे तैयार किये और उसके बाद मोमी ट्रेस नक्शा अनुसार ही खतौनी तैयार की गई। इसी प्रकार वक्त सेटलमेंट ग्राम कानसिंह की सिड में भी सेटलमेंट अधिकारियों के द्वारा ग्राम कानसिंह की सिड का मोमी ट्रेस नक्शा खातेदारों के कब्जा काश्त अनुसार ही तैयार किया गया। वादीगण के पूर्वज के कब्जा काश्त अनुसार खसरा नम्बर 244 का मोमी ट्रेस नक्शा तैयार करते समय गलती से खसरा नम्बर 244 का रकबा 484.05 बीघा के स्थान पर सरासर गलत तरीके से एवं मोमी ट्रेस से कम रकबा 170.15 बीघा दर्ज कर दिया। जबकि वक्त सेटलमेंट से लेकर उक्त भूमि पर वादीगण के पूर्वजों का व उनके फौत होने के बाद वादीगण का रकबा 484.05 बीघा भूमि पर ही कब्जा व काश्त है। वादीगण ने रकबा 484.05 बीघा भूमि पर तारबंदी कर रखी है। इसलिए वादीगण ग्राम कानसिंह की सिड पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 244 रकबा 170.15 बीघा के राजस्व रेकॉर्ड को

A 20.9.24  
सहायक कलेक्टर  
बाप (फलोदी)



दुरुस्त कर खसरा नम्बर 244 का सही एवं वास्तविक रकबा 484.05 बीघा भूमि राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है। जिसका यह दावा पेश है।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर सिगोदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार बाप ने जवाब पेश कर बताया कि ग्राम कानसिंह की सिड पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड के खसरा नम्बर 244 रकबा 170.15 बीघा के स्थान पर खसरा नम्बर 244 का सही व वास्तविक रकबा माफिक मोमी ट्रेस नक्शा अनुसार कुल रकबा 484.05 बीघा भूमि राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती की जाकर खसरा नम्बर 244 में बढ़ोतरी रकबा 313.10 बीघा वादीगण के नाम दर्ज की जाती है तो कोई उजर ऐतराज नहीं है। वादी संख्या 2 प्रतापसिंह ने अपने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया एवं प्रतापसिंह के बयान पी-डब्लू 1 कलमबद्ध किये गये, भाईखां पुत्र मुरीदखां ने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया एवं बयान पी-डब्लू 2 कलमबद्ध किये गये, पटवारी हल्का कानसिंह की सिड के बयान पी.डब्लू-3 कलमबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये।

अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि वादीगण की सामलाती खातेदारी की भूमि ग्राम कानसिंह की सिड पटवार हल्का कानसिंह की सिड तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 244 रकबा 484.05 बीघा के रूप में स्थित है, उक्त भूमि पर पूर्व में वादीगण के पूर्वजों का वक्त सेटलमेंट से पूर्व रकबा 484.05 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त रहा तथा उनकी मृत्यु के पश्चात वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा खसरा नम्बर 244 की खतौनी बंदोबस्त तैयार करते समय रकबा 484.05 बीघा के स्थान पर 170.15 बीघा दर्ज कर दिया गया जबकि नक्शा ट्रेस में उक्त भूमि का रकबा 484.05 बीघा है और मौके पर वादीगण का 484.05 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है इसलिये वादीगण खसरा नम्बर 244 के राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी को दुरुस्त करवाकर रकबा 170.15 बीघा के स्थान पर माफिक नक्शा ट्रेस अनुसार 484.05 बीघा दर्ज करवाकर रेकॉर्ड दुरुस्त किया जावे। वादीगण के अधिवक्ता ने वाद के समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकार है :- (01) राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर आर.आर.टी. 2013(1) उदयलाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य पेज संख्या 391, (02) आर.आर.टी. 2013(1) हरिनारायण व अन्य बनाम भागीरथ व अन्य पेज संख्या 226 की नजीरे प्रस्तुत कर कथन किया कि सेटलमेंट के समय में सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा की गई त्रुटियों को दुरुस्त करने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्रदान किये हुवे है तथा सेटलमेंट के समय राजस्व रेकॉर्ड इन्द्राजात में रही त्रुटियों को दुरुस्त करने में उपखण्ड अधिकारी सक्षम है।

उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया गया। बाद मनन, अवलोकन एवं अध्ययन करने पर पाया गया कि विवादग्रस्त भूमि ग्राम कानसिंह की सिड पटवार हल्का कानसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 244 रकबा 170.15 बीघा भूमि वादीगण के खातेदारी में दर्ज है जो जमाबंदी से साबित है लेकिन उक्त भूमि के नक्शा ट्रेस में रकबा 484.05 बीघा है। जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी से

A *20.9.24*  
सहायक कलेक्टर  
बाप (पटवारी)


313.10 बीघा कम है जो तहसीलदार बाप के जवाब से साबित है इस प्रकार खसरा नम्बर 244 का मोमी ट्रेस नक्शा में मूल रकबा 313.10 बीघा अधिक दर्ज है। पटवारी हल्का रिपोर्ट एवं तहसीलदार बाप के जवाब से साबित है। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय 2013 (1) आर.आर.टी. पेज संख्या 391 उदयलाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं हरिनारायण व अन्य बनाम भागीरथ व अन्य उक्त प्रकरण में पूर्ण रूप से लागू होता है। पटवारी हल्का ने अपने साक्ष्य में कथन किया कि वादीगण से बढोतरी रकबे की लगान राशि प्राप्त की जावे। तहसीलदार बाप ने अपने जवाब में भी कथन किया है वादीगण के वाद का निस्तारण साक्ष्य सनुवाई एवं गुणावगुण पर किये जाने पर एतराज नहीं है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण साबित है। वाद वादीगण स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

**—:: क्रियात्मक आदेश ::—**

अतः वाद वादीगण स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम कानसिंह की सिड पटवार हल्का कानसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 244 का राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी में गलत रूप से दर्ज रकबा 170.15 बीघा को दुरुस्त किया जाकर खसरा नम्बर 244 का रकबा 484.05 बीघा माफिक नक्शा ट्रेस राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज किया जावे एवं बढोतरी रकबा 313.10 बीघा का वादीगण को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि (अगर बढोतरी रकबे की राजस्व मांग बकाया न हो तो) माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफतर हो।



निर्णय आज दिनांक 20.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपरखण्ड अधिकारी  
बाप (फलोदी)

**डिगरी बमुकदमें इब्तादाई**  
(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)  
**अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप**  
**बइजलास श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)**

01. हरिसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंह की सिड तहसील बाप  
02. प्रतापसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंह की सिड तहसील बाप

वादीगण.....

बनाम

1. तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)

प्रतिवादी.....

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**  
**एवं धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956**

मुकदमा संख्या :- 147 / 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रुबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी एवं हाजिर राजेन्दसिंह सौलकी मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि ग्राम कानसिंह की सिड पटवार हल्का कानसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 244 का राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी में गलत रूप से दर्ज रकबा 170.15 बीघा को दुरुस्त किया जाकर खसरा नम्बर 244 का रकबा 484.05 बीघा माफिक नक्शा ट्रेस राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज किया जावे एवं बढ़ोतरी रकबा 313.10 बीघा का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि (अगर बढ़ोतरी रकबे की राजस्व मांग बकाया न हो तो) माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें। नीचे

मुतालिक


बाबत्

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर

फीस सदी सालाना आज की तारीख  
को अदा करे।

वसूल याबी तक

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20.09.2024 को जारी की गई।



(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)

सहायक कलक्टर  
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान			स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा वाहन फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुत्फरिक मिजान		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।